भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1825** जिसका उत्तर

गुरूवार, **28 नवम्बर**, 2019/7 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है

समुद्री महाविद्यालय और संस्थाएं

1825. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री प्रतापराव जाधवः

श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में प्रचालित समुद्री महाविद्यालयों/संस्थानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन सभी महाविद्यालयों/संस्थानों ने सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा किया है और इनमें आवश्यक ढांचागत सुविधाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा समुद्री क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में समुद्री संकुलों को स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चिह्नित किए गए समुद्री संकुलों की संख्या कितनी है और इन समुद्री संकुलों को कब तक विकसित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) से (ग) देश में इस समय कुल 151 समुद्री प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। इन सभी कॉलेजों /संस्थानों ने सभी अपेक्षित मापदंड और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को पूरा किया है। इस संबंध में ब्योरा **अनुबंध- I** में दिया गया है।

(घ) वैश्विक मानकों को पूरा करने के साथ ही विदेशी नियोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिकारियों और रेटिंग के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को 2016 में संशोधित किया गया था। निजी क्षेत्र में काम करने वाले प्रशिक्षण संस्थानों को विनियमित करने के लिए, विभिन्न मापदंडों जैसे कि अवसंरचना, आने वाले छात्रों की गुणवत्ता, संकाय की गुणवत्ता, शिक्षाशास्त्र, परीक्षा में प्रदर्शन, ऑन-बोर्ड प्रशिक्षण पर संस्थान की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए 'व्यापक निरीक्षण कार्यक्रम' (सीआईपी) की एक प्रणाली तैयार की गई है। इन संस्थानों की पाठ्यक्रम सामग्री को मानकीकृत करने के लिए, नौवहन महानिदेशालय द्वारा एक ई-लर्निंग मॉड्यूल तैयार किया गया है तथा इसे सभी भारतीय नाविकों को नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया है, ताकि वे परीक्षाओं में शामिल होने से पहले अपने ज्ञान और कौशल को उन्नत कर सकें। इसने नियोक्ताओं द्वारा अपनाई जा रही वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ नाविकों के इष्टतम संरेखण में मदद की है, जिससे उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

(ड.) और (च) जी, हां। सरकार ने गुजरात, तमिलनाडु और गोवा राज्यों (प्रत्येक में एक-एक) में तीन समुद्री समूहों की पहचान की है।

अनुबंध-I

अनुमोदित समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों की राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश वार सूची:

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	संस्थानों की संख्या
01	अंडमान और निकोबार	01
02	आंध्र प्रदेश	04
03	बिहार	03
04	दिल्ली	06
05	गोवा	04
06	गुजरात	04
07	हरियाणा	03
08	कर्नाटक	01
09	केरल	05
10	महाराष्ट्र	49
11	ओडिशा	03
12	पांडिचेरी	02
13	सिक्किम	01
14	तमिलनाडु	35
15	उत्तर प्रदेश	10
16	उत्तराखंड	02
17	पश्चिम बंगाल	18
कुल		151

*****